न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 44/प्रा.पत्र/2021 (GCMS No. 2021/107)	19.07.2021	08.01.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

बाबू उर्फ बाला आ. गोपाल जाति बैरवा,
निवासी ग्राम सामरबां, तहसील बून्दी
हाल तहसील रायथल एवं जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी बाबू आ. गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सामरबां को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 635 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम भैरूपुरा औझा आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई। तहसीलदार रायथल के पत्रांक 729/टीआरए दिनांक 19.12.24 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शुद्धिपत्र कमांक 24 दिनांक 18.12.2024 से बाबू के स्थान पर बाला शुद्ध करवा दिया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2073—76 में खसरा सं. 899/635 रकबा 1.2464 हैक्टयेर पर बाला आ.गोपाल जाति बैरवा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 44/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2021/107 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं.4(य) में आवंटी ग्राम सामरबां में निवास नहीं करता है, अंकित है। तहसीलदार बून्दी द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2023 से अवगत कराया कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट पटवार मण्डल भैरूपुरा ओझा में बाबू आ. गोपाल बैरवा नाम का कोई भी व्यक्ति वर्तमान में पटवार मण्डल भैरूपुरा ओझा के किसी गांव में निवासरत नहीं है और ना ही उसके संबंध में कोई जानकारी है। तहसीलदार रायथल की रिपोर्ट दिनांक 21.11.2024 के अनुसार पटवार मण्डल भैरूपुरा औझा के किसी भी ग्राम में **बाला** आ.गोपाल व बाबू आ.गोपाल जाति बैरवा नाम का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है। इस प्रकार बाला आ. गोपाल का वर्तमान निवास के पते की जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी को नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण का एकपक्षीय निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त की जा रही है जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी बाला आ. गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सामरबां को मिसल संख्या 185 पर दिनांक 06.11.1977 को सीलिंग अधिग्रहित भूमि खसरा संख्य 635 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम भैरूपुरा औझा का आवंटन किया जाना प्रकट है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बून्दी की रिपोर्ट अनुसार आवंटी के विरूद्ध आवंटन के पेटे 1397.50/— रू. की राशि बकाया होना प्रकट है। आवंटी द्वारा बकाया राशि करवाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना एवं बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी बाला आ. गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सामरबां को मिसल सं. 185 दिनांक 06.11.1977 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 635 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 899／635 रकबा 1.2464 हैक्टयेर) वाकेग्राम भैरूपुरा औझा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रायथल उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी